ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 8.4
IJAR 2021; 7(12): 79-81
www.allresearchjournal.com
Received: 11-10-2021
Accepted: 13-11-2021

डॉ0 मुहम्मद मुस्तकीम
असि0प्रोफेसर, शिक्षक–शिक्षा विभाग, हलीम मुस्लिम पी0जी0 कालेज, कानपुर, उत्तर प्रदेश, भारत

Corresponding Author:
डॉ0 मुहम्मद मुस्तकीम
असि0प्रोफेसर, शिक्षक–शिक्षा विभाग, हलीम मुस्लिम पी0जी0 कालेज, कानपुर, उत्तर प्रदेश, भारत

मुस्लिम समुदाय में पारिवारिक हिंसा के कारणों का अध्ययन

डॉ0 मुहम्मद मुस्तकीम

DOI: https://doi.org/10.22271/allresearch.2021.v7.i12b.9197

सारांश
पारिवारिक हिंसा महिला हिंसा का वीभत्स रूप है जो प्रत्येक समाज में गहरी पैठ बना चुका है जिसके विभिन्न कारण हो सकते है। प्रस्तुत शोध मुस्लिम समुदाय में पारिवारिक हिंसा के विभिन्न कारणों को ज्ञात करने के उद्देश्य से किया गया है। इसके लिये शोधकर्ता ने कानपुर नगर की 200 मुस्लिम महिलाओं का चयन सौउद्देश्य न्यायदर्शन प्रणाली के आधार किया है। परिणामों में पाया गया कि मुस्लिम समुदाय में महिलाओं के साथ हिंसा या उत्पीड़न दहेज, गरीबी, आर्थिक रूप से कमजोर, अशिक्षा, बेमेल विवाह, आधुनिकता का प्रभाव, कानून की अनभिज्ञता आदि के कारण होती है।

कूटशब्द : मुस्लिम महिलायें, पारिवारिक हिंसा, हिंसा के कारण

प्रस्तावनाः
महिला उत्पीड़न एक सार्वभौमिक प्रघटना है। कोई भी काल, स्थान और परिस्थितियाँ रही हो, प्रत्येक समाज में महिलाओं की स्थिति सदैव दोयम दर्जे की रही है। पुरूष सत्तात्मक समाज में सदैव उसे कमजोर एवं निम्न स्तर का माना गया है और यह विश्वास प्रकट किया गया है कि उसे सदैव पुरूष के अधीन ही रहना चाहिए। नारी चाहे कसी वर्ग, जाति या समाज की रही हो, अनेकानेक आयामों में उसके उत्पीड़न और शोषण को सदैव ही वैध ठहराया गया है और एक लम्बे समय तक उसकी स्थिति में सुधार के कोई प्रयास नहीं किये गये है, परन्तु यदि हम यहाँ महिला उत्पीड़न की बात करें वह भी मुस्लिम महिलाओं की, तब तो इस बात को सिद्ध करना और भी आसान हो जाता है कि मुस्लिम महिलाओं का भी व्यापक स्तर पर उत्पीड़न हुआ है।
वर्तमान में महिलाओं पर अत्याचार एक शर्मनाक तथा ज्वलन्त मुद्दा है, महिलाओं के प्रति हिंसा महज उसके शरीर पर ही चोट नहीं है बल्कि उसके आस्तित्व को समाप्त कर देती है। के0विजय लक्ष्मी बनाम अम्मा बिन्दु, ए0आई0आर, 2009 आ0प्र0 2840 के केस में इस बात पर बल दिया गया है कि श्घरेलू हिंसा महिला कल्याण पर प्रतिकूल असर छोड़ता है।श्महिला हिंसा हमारे समाज में कई रूपों में देखने को मिलती है जैसे बाल विवाह, ससुराल में उसके साथ मारपीट व पति के द्वारा हिंसा, दैनिक जीवन में छेड़छाड़, वेश्यावृत्ति, ऑनर किलिंग, शारीरिक, मानसिक व यौनिक हिंसा आदि। इस कारण महिला अपनी जिंदगी को बेहतर ढंग से व्यतीत नहीं कर पाती है और उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। खड़क हिंसा बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 के वाद में इस बात को अभिनिर्णीत किया गया है कि ''प्रत्येक व्यक्ति को बेहतर जीवन जीने का अधिकार है।'' अक्सर महिला हिंसा की घटनाएं मूक स्तरों पर ही सामने आती है। भारतीय समाज में पुरूष प्रधानता का होना और नारियों को समाज में निम्न दिखाने की प्रवृत्ति या प्रचार माध्यमों का महिलाओं को नुमाइश की वस्तु या भोग विलास की वस्तु के रूप में प्रदर्शित करना आदि महिला हिंसा को बढ़ावा देने में भूमिका निभाता है।
महिला उत्पीड़न की घटनाओं में सबसे वीभत्स रूप पारिवारिक हिंसा का है। यह हिंसा का अत्यन्त प्राचीन स्वरूप है। जिसकी जड़े बहुत गहरी है। इसके इतिहास को बता पाना अत्यन्त कठिन है। अब तक इसे केवल पारिवारिक कलह के रूप में देखा ही न था फलतः यह अदृश्य रही, क्योंकि घर की चहार दीवारी के अन्दर जो कुछ भी घटित हो रहा है उसे एक निजी प्रकरण समझा गया जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप को एक व्यक्ति के निजी मामलों में दखल की संज्ञा दी गयी।
महिलाओं के साथ होने वाली पारिवारिक हिंसाएं सार्वभौमिक घटना है। कोई भी घटना एक जैसी परिस्थितियों में उत्पन्न नहीं होती है विभिन्न परिस्थितियों में उत्पन्न होने वाली प्रघटनाओं के सम्बन्ध

में विभिन्न कारक हो सकते हैं यही कारक किसी भी कार्य के लिए उत्तरदायी होते है। इसके अन्तर्गत सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, अशिक्षा एवं कानूनी अनभिज्ञता, धार्मिक कट्टरवाद तथा बेमेल विवाह आदि हो सकते है। दलाल और लिंडक्विस्ट (2010) ने अपने अध्ययन में पाया है कि भारत में महिलाओं की खराब पृष्ठभूमि, काम करने की स्थिति और पति का नियन्त्रित व्यवहार, घरेलू हिंसा के मुख्य कारक है। एक अन्य अध्ययन में गुप्ता और सक्सेना (2011) ने यह निष्कर्ष पाया कि 45 प्रतिशत महिलायें स्त्री स्वच्छन्दता, 45 प्रतिशत महिलायें फैंशन के उन्माद तथा 10 प्रतिशत चलचित्र तथा आधुनिकता के प्रभाव को महिला उत्पीड़न का कारण मानती है।

प्रस्तुत शोध में शोधकर्ता ने पारिवारिक हिंसा के कुछ प्रमुख कारणों–दहेज बॉझपन एवं शारीरिक दुर्बलतायें, अशिक्षा तथा कानूनी अनभिज्ञतायें आदि पर अध्ययन करने का प्रयत्न किया है।

उद्देश्य– प्रस्तुत शोध का उद्देश्य है कि मुस्लिम समुदाय में पारिवारिक हिंसा के विभिन्न कारणों का अध्ययन करना।

परिकल्पनायें–

1. दहेज के लिये पारिवारिक हिंसा होने की सम्भावना है।
2. बाँझपन व शारीरिक दुर्बलताओं के कारण हिंसा होने की सम्भावना।
3. आर्थिक रूप से दूसरों पर निर्भरता के कारण शोषण की सम्भावना।
4. अशिक्षा एवं कानून की अनभिज्ञता के कारण उत्पीड़न होने की सम्भावना।
5. बेमेल विवाह के कारण शोषण की सम्भावना।
6. आधुनिकता के प्रभाव के कारण हिंसा की सम्भावना।

अध्ययन की शोध विधि–

प्रस्तुत शोध हेतु प्रदत्त संकलन के लिये कानपुर शहर के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों से 200 मुस्लिम महिलाओं का चयन किया गया है। न्यादर्शों का चयन सौउद्देश्य, न्यादर्शन पद्धति पर किया गया है। प्राथमिक आँकड़ों का संकलन हेतु स्वनिर्मित प्रश्नावली अनुसूची का प्रयोग किया गया है।

आँकड़ों की व्याख्या एवं विश्लेषण

सारणी–1: दहेज के लिये पारिवारिक हिंसा

दहेज के लिये पारिवारिक हिंसा	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
हाँ	147	73.50
नहीं	53	26.50
योग	200	100.00

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि 73.50 प्रतिशत महिलाओं का मानना है कि दहेज न मिलने के कारण घर में हिंसा होती है जबकि 26.50 प्रतिशत महिलाओं ने माना है कि दहेज के कारण परिवार में कोई हिंसा नहीं होती है।

सारणी–2: बाँझपन व शारीरिक दुर्बलताओं के कारण हिंसा

बाँझपन व शारीरिक दुर्बलताओं के कारण हिंसा	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
हाँ	115	57.50
नहीं	60	30.00
कोई उत्तर नहीं	25	12.50
योग	200	100.00

उपरोक्त सारणी से ज्ञात होता है कि 57.50 प्रतिशत महिलाओं ने माना है कि बाँझपन व शारीरिक दुर्बलताओं व गम्भीर बीमारी के कारण भी पारिवारिक हिंसा होती है जबकि 30.00 प्रतिशत महिलाओं ने ऐसी हिंसा से इंकार किया है और 12.50 प्रतिशत महिलाओं ने कोई उत्तर नहीं दिया है।

सारणी–3: आर्थिक रूप से दूसरों पर निर्भरता के कारण हिंसा

आर्थिक रूप से दूसरों पर निर्भरता के कारण हिंसा	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
हाँ	118	59.00
नहीं	63	31.50
कोई उत्तर नहीं दिये	19	9.50
योग	200	100.00

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि 59.00 प्रतिशत महिलाओं ने माना है कि पारिवारिक हिंसा का मुख्य कारण आर्थिक स्थिति कमजोर या दूसरों पर निर्भरता के कारण भी हो सकती है जबकि 31.50 प्रतिशत महिलायें इसको हिंसा के लिए कारण नहीं मानती है। 9.50 प्रतिशत महिलाओं ने इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया है।

सारणी–4: अशिक्षा एवं कानून की अनभिज्ञता के कारण उत्पीड़न

अशिक्षा एवं कानून की अनभिज्ञता के कारण उत्पीड़न	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
हाँ	174	87.00
नहीं	26	13.00
योग	200	100.00

उपरोक्त सारणी से ज्ञात होता है कि 87.00 प्रतिशत महिलाओं का मानना है कि अशिक्षा एवं कानून की सही–सही जानकारी न होने के कारण परिवार में महिलाओं का शोषण व उत्पीड़न होता है। जबकि 13.00 प्रतिशत मुस्लिम महिलाओं का मानना है कि ऐसा नहीं है।

सारणी–5: आधुनिकता के प्रभाव के कारण हिंसा

आधुनिकता के प्रभाव के कारण हिंसा	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
हाँ	115	57.50
नहीं	62	31.00
कोई उत्तर नहीं दिये	23	11.50
योग	200	100.00

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि 57.50 प्रतिशत मुस्लिम महिलाओं ने माना है कि आधुनिकता के कारण परिवार में कलह होती है और यह कलह हिंसात्मक रूप धारण कर लेती है जबकि 31.00 प्रतिशत मुस्लिम महिलाओं ने नकारात्मक उत्तर दिया है और 11.50 प्रतिशत महिलाओं ने कोई उत्तर नहीं दिया है।

सारणी–6: बेमेल विवाह के कारण शोषण

बेमेल विवाह के कारण शोषण	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
हाँ	117	58.50
नहीं	47	23.50
कोई उत्तर नहीं दिये	36	18.00
योग	200	100.00

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि 58.5 प्रतिशत महिलाओं का मानना है कि लड़के व लड़की की आयु में अधिक अन्तर है या बेमेल विवाह है तो दाम्पत्य जीवन में कलह रहती है और लड़की

का उत्पीड़न व शोषण किया जाता है। जबकि 23.5 प्रतिशत महिलायें इससे सहमत नहीं है उनका मानना है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और 18 प्रतिशत महिलायें ने कोई उत्तर नहीं दिया।

शोध के परिणाम एवं निष्कर्ष :–

प्रस्तुत शोध में निरुपित परिकल्पनाओं के जाँच के आधार पर यह निष्कर्ष व परिणाम प्राप्त हुए–

1. दहेज के लिए मुस्लिम महिलाओं के साथ परिवार में उनका शोषण व उत्पीड़न होता है।
2. मुस्लिम महिलाओं के बाँझपन व शारीरिक दुर्बलताओं के कारण उनके साथ हिंसा व शोषण होता है।
3. मुस्लिम महिलाओं के आर्थिक रूप से दूसरों पर निर्भर होने के कारण उनके साथ हिंसा व उत्पीड़न होता है।
4. मुस्लिम महिलाओं का अशिक्षित होने व कानून के प्रति अनभिज्ञता के कारण भी उनका शोषण व उत्पीड़न होता है।
5. बेमेल विवाह के कारण भी मुस्लिम महिलाओं के साथ परिवार में हिंसा होता है।

सुझाव :–

प्रस्तुत अध्ययन के परिणामों एवं निष्कर्षों के आधार पर निम्नांकित सुझाव दिये जा सकते है जो मुस्लिम महिलाओं को सशक्त व आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं–

1. मुस्लिम समाज में महिला शिक्षा के प्रति जागरूकता के लिये विशेष अभियान चलाया जाना चाहिए जिससे अधिक संख्या में महिलायें शिक्षित हो सके।
2. मुस्लिम महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए उनको कौशल विकास कार्यक्रम के साथ अधिक संख्या में जुड़ने तथा उनको जॉब ओरियन्टेड कोर्स करने के लिये प्रोत्साहित करना चाहिये जिससे वह आत्मनिर्भर बन सके।
3. मुस्लिम महिलाओं को अपने हितों व अधिकारों की सुरक्षा के लिए धार्मिक अधिकारों तथा संवैधानिक अधिकारों का ज्ञान प्राप्त करना चाहिये। इसके लिये उसे स्वयं प्रयास करने होंगे।
4. मुस्लिम महिलाओं को सशक्त व आत्मनिर्भर बनाने के लिये सरकार को सहायता करना चाहिए।
5. महिला उत्पीड़न को रोकने के लिये सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन व मस्जिदों के इमामों को आगे आना चाहिये तथा विभिन्न सामाजिक बुराइयों (दहेज आदि) को दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए।
6. मुस्लिम समाज में स्थानीय स्तर पर परामर्श केन्द्र स्थापित किये जायें जिससे परिवार की समस्याओं का निराकरण हो सके।

संदर्भ सूची

1. अडवाणी, पी (1996) ''क्राइम इन मैरिज'' गोपसी पब्लिशर्स, मुम्बई।
2. अशरफ, नेहाल (1997), ''क्राइम अंगेस्ट वीमैन'' कामनवेल्थ पब्लिशर, नई दिल्ली।
3. अय्यूब, इस्लाही (2006), 'पर्दा और इस्लाम' मरकजी मकतबा इस्लामी, नई दिल्ली।
4. अजीज अहमद (1984) ''स्टडीज इस्लामिक कल्चर इन इण्डिया'' इन्वायरमेन्ट आक्सफोर्ड।
5. बी0बी0एम0 फात्मा (1999) ''वीमेन लॉ एण्ड सोशल चैंज'' आशीष पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली।
6. भान्ती, राज (1995–96) ''परिवार परामर्श, हिमान्शू पब्लिकेशन्स, उदयपुर।
7- दलाल, के. एण्ड लिंडक्विस्ट (2010), ''ऐ नेशनल स्टडी ऑफ द प्रिवेलेन्स एण्ड कोरिलेट्स ऑफ डोमेस्टिक वॉयलेन्स अमन्ग वीमेन इन इण्डिया,'' एशिया पेसोफिक जर्नल ऑफ पब्लिक हेल्थ http://journals.sagegub.com/doi.org/10.1177110105395 10384499
8. गुप्ता, कमलेश कुमार (2009) ''भारतीय महिलायें'' बुक एन्क्लेव, जयपुर।
9. गुप्ता, डॉ0 सुभाष चन्द्र एण्ड सक्सेना (2011) ''पारिवारिक प्रताड़ना एवं महिलायें, राधा पब्लिकेशन्स नई दिल्ली।
10. गुप्ता और सक्सेना (2011) ''पारिवारिक प्रताड़नायें एवं महिलायें''राधा पब्लिकेशन, दरियागंज, नई दिल्ली।
11. हंसन, जोया (2003) ''मुस्लिम महिलाओं की बदहाली का कारण धर्म नहीं आर्थिक'' हंस पत्रिका, नई दिल्ली।
12. जैमुल आब्दीन (2007) ''इस्लाम और समाज'' भारतीय शिक्षा निदेशालय, दिल्ली।